न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 1385-PBR/16

प्र0क0..................

1.राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता
2.श्रीमती शशि गुप्ता पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
निवासीगण ए–17, जवाहर कालोनी ग्वालियर

बनाम्

1. हाकिम सिंह पुत्र श्री खलक सिंह जाति गुर्जर
निवासीगण केदारपुर

दिनांक 2-5-16 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत।

2-5-16

50

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता :–

माननीय न्यायालय के समक्ष यह रिविजन आवेदन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसी रोड जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 03/2011–12/अपील मे पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 से दुखित होकर प्रस्तुत है । आवेदन के संबंध मे तथ्य निम्नानुसार है ।

1/ यहकि, ग्राम केदारपुर तहसील एवं जिला ग्वालियर स्थिति भूमि सर्वे क0 372, 377,388/3रकवा कमशः 0.063 हेक्टयर, 0.805 हेक्टयर, 0.094 हेक्टयर, को रिवीजन कर्ता द्वारा विकय पत्र दिनांक 25.03.2011 से कय किया गया है यह भूमि के विकेता कल्याण सिहं, महेन्द्र सिहं, जसवंत सिहं, निरंजन सिहं, काशीबाई पुत्र लोटन सिहं है ।

2/ यहकि, आवेदकगण द्वारा भूमि विकय दिनांक 25.03.2011 से प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य रिवीजनकर्ता को सौंप दिया गया है इसका विवरण विकय पत्र दिनांक 25.03.2011 के पृष्ठ कमांक 5 में है ।

3/ यहकि, आवेदक (रिवीजनकर्ता) के द्वारा भूमि कय दिनांक से ही वैधानिक रूप से भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है ।

4/ यहकि, आवेदकगण द्वारा चूँकि स्वंय भूमि विकय की है अतः प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व एवं अंतरण तथा कब्जा सौपे जाने की जानकारी उन्हें भली भॉति है आवेदकगण द्वारा रिवीजनकर्ता को परेशान करने की नीयत से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसी रोड मे अपील प्रस्तुत की गई जिसका कोई वैधानिक आधार नही है।

5/ यहकि, द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध मे जब कि नामातंरण पंजी मे विधिवत ईश्तहार जारी कर नामातंरण आवेदक (रिवीजनकर्ता) के पक्ष मे किया गया तब समय बाहय अपील को सुनवाई मे लिया जाकर उसके नामातंरण को निरस्त किया जाना विधि संगत नही है।

2/5/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1385–पीबीआर/16 राजेन्द्र/दादिबा जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–5–2016	अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24–2–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम प्रकृति का आदेश होकर अपीलीय आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है । अनावेदक के विद्वान अभिभाषक की आपत्ति विधि संगत होने से स्वीकार की जाती है, क्योंकि प्रश्नाधीन आदेश अपीलीय आदेश होने से संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रतिबंधित होकर ग्राह्य योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । आवेदक सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	